न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/ 2018 **दायर तारीख :– 03-01-2018**

1. मूलचंद
2. मालीराम
3. भैरूराम

} पुत्रान गोदा

समस्त जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

— अप्रार्थीगण

2. प्रेम
3. कमली
4. मोहनी

} पुत्रियान गोदा जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–11.08.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नम्बर 952/0.26, 953/0.27, 954/0.03, 954/1320/0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता एवं अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 306, 306/1, 302/2 रबा 2 बीघा 6 बिस्वा से कायम किए गए थे, जिसकी खातेदारी महोदव वल्द लादू हिस्सा 1/2 एवं गोदा वल्द सांवता हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड में चली आ रही है। यह कि साबिक खसरा नंबर 306 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जो कि खसरा नंबर 306/1, 306/2 का मिन नंबर है कि खातेदारी भोक्ता पृथ्वीसिंह वगैरह के दर्ज थी, जो शिकमी काश्तकार के आधार पर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

भूमि की खातेदारी काश्त के अनुसार महोदव वल्द लादू हिसा 1/2 एवं गोदा वल्द सांवता के नाम दर्ज कर दी गई थी , परंतु सेटलमेंट में प्रार्थीगण के पिता गोदा के नाम सही खातेदारी गोदा वल्द श्योबक्स के बजाय गोदा वल्द सांवता दर्ज कर दिया। जाहिरान तथ्य कि राज कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक गोदा की सही वल्दियत दर्ज नहीं कर गलत वल्दियत दर्ज कर दी जो काबिले दुरुस्ती है। यह है कि प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण का पिता, गौदा फोत हो चुका है, जिसकी अन्य खातेदारी भूमि में सही वल्दियत गोदा पुत्र श्योबक्स अंकित चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता गोदा की गलत वल्दियत के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं खुल पा रहा है। गोदा की गलत वल्दियत से प्रार्थीगण अपने नामान्तकरण नहीं खुलने से विद्युत कनेक्शन कृषि आदि ले पाना मुश्किल हो गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से गोदा वल्द सांवता दर्ज है, जो गलत दर्ज है। अतः प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण के पिता का नाम काबिल दुरुस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नम्बर 952/0.26, 953/0.27, 954/0.03, 954/1320/0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण के पिता का नाम गोदा वल्द सांवता के बजाय गोदा वल्द श्योबक्स दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम श्यामपुरा खाता संख्या 220 संवत् 2073–2076, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम श्यामपुरा, नकल जमाबन्दी खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2027, नकल साबिक जमाबंदी संवत् 2016–2020, नकल साबिक जमाबंदी संवत् 2020–2023, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2027, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2017–2020, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2012–2015, नकल जमाबंदी साबिक संवत् 2020–2023, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र गोधाराम मीणा,, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007922500696 आदि पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नम्बर 952/0.26, 953/0.27, 954/0.03, 954/1320/0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता एवं अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 306, 306/1, 302/2 रबा 2 बीघा 6 बिस्वा से कायम किए गए थे, जिसकी खातेदारी महोदव वल्द लादू हिस्सा 1/2 एवं गोदा वल्द सांवता हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड में चली आ रही है। यह कि साबिक खसरा नंबर 306 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जो कि खसरा नंबर 306/1, 306/2 का मिन नंबर है कि खातेदारी भोक्ता पृथ्वीसिंह वगैरह के दर्ज थी, जो शिकमी काश्तकार के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी काश्त के अनुसार महोदव वल्द लादू हिसा 1/2 एवं गोदा वल्द सांवता के नाम दर्ज कर दी गई थी। पैराकार सरकार का जवाब रहा है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने पिता का नाम गोदा पुत्र सांवता के बजाय गोदा पुत्र श्योबक्स होने का कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पैराकार सरकार के जवाब का अवलोकन उपरांत यह सही है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने पिता का नाम गोदा पुत्र सांवता के बजाय गोदा पुत्र श्योबक्स होने का कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.08.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर